

सं०सं०-1/ज०कॉ०-03/2017-- ४५(1) त्त०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,
भागलपुर।

पटना, दिनांक- 08-01-2018

विषय:- जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु 20,00,000/- मात्र तथा आय-व्ययक से प्राप्त वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में रु 7,19,80,000/- मात्र अर्थात् कुल रु 7,39,80,000/- (रुपये सात करोड़ उन्चालिस लाख अस्सी हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के ज्ञापांक-2435, दिनांक-27.12.2017 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में संलग्न विवरणी के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु 20,00,000/- मात्र तथा आय-व्ययक से प्राप्त वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में रु 7,19,80,000/- मात्र अर्थात् कुल रु 7,39,80,000/- (रुपये सात करोड़ उन्चालिस लाख अस्सी हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन व्यय माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।


5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।



क्रमशः

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /


3/1/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0कॉ0-03/2017- 84(1) ल० /स्वा0, पटना, दिनांक- 08-01-2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


3/1/18

सरकार के विशेष सचिव

भागलपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, विपत्र कोड-20-2210051050010 को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0010.01.01 वेतन	96050000	0	96050000	72037500	24012500	96050000	0
0010.01.03 जीवन यापन भत्ता	133181000	0	133181000	99885750	33295250	133181000	0
0010.01.04 मकान किराया भत्ता	8019000	0	8019000	6014250	2004750	8019000	0
0010.01.06 चिकित्सा भत्ता	420000	0	420000	315000	105000	420000	0
0010.01.07 अन्य भत्ता	50000	0	50000	37500	12500	50000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	237720000	0	237720000	178290000	59430000	237720000	0
0010.11.01 यात्रा व्यय	100000	0	100000	50000	50000	100000	0
0010.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	2000000	2000000	0	2000000	2000000	0
0010.28.02 संविदा सेवायें	30000000	0	30000000	22500000	7500000	30000000	0
0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	0
0010.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	10000000	0	10000000	5000000	5000000	10000000	0
कुल योग-	297820000	2000000	299820000	225840000	73980000	299820000	0

(रूपये सात करोड़ उन्चास लाख अस्सी हजार)

84(1) ल०
08-01-2018

31/1/18
सरकार के विशेष सचिव